● Publishing Date : April 30, 2018 ● Total Number of Pages : Twenty
● Posting at Lucknow on 5th, 6th, 7th and 8th of every month
RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका
कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)
वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004
फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486
E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org
श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 30 अप्रैल, 2018 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री मोहित अग्रवाल वर्ष : 14, अंक : 11

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

इस समय गर्मी का मौसम काफी तेजी से बढ़ रहा है, इस कारण किसानों द्वारा घरों में रखा गया आलू तेजी से खराब होने लगा है और वह लम्बी दूरी तक भेजने के काबिल नहीं रहा है, बहुत ही कम समय में ऐसे आलू की पूरी तरह समाप्त होने की आशा की जा रही है। लोकल मण्डियों में भी ऐसे आलू के दागी पहुँचने के समाचार मिल रहे हैं। अतः आशा की जाती है कि बहुत शीघ्र ही शीतगृहों से आलू की निकासी शुरू हो जायेगी। वैसे अभी आगरा से करीब 50 ट्रक प्रतिदिन निकासी के समाचार मिल रहे हैं। दक्षिण की मण्डियों में अच्छी माँग के समाचार आ रहे हैं। यह सब मण्डियाँ केवल अच्छे आलू को ही माँग रही है।

हमें कुछ शीतगृहों से यह भी समाचार मिले है कि वहाँ पर बहुत ही छोटे अंकुरण की शिकायत शुरू हो गयी है। आपको अपने शीतगृह में आलू को सूचारू रूप से रखना है, जिसमें अंकुरण तो बिलकुल ही नहीं होना चाहिए, इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि आप अपने शीतगृहों में पल्टाई की व्यवस्था करें और हवा पूरे कक्षों में अच्छी तरह चलने के लिए सही प्रकार से गैलरियाँ खोले, →

आलू की छल्लिओं को दीवार से सटा कर बिलकुल ना लगाए। यह भी ध्यान रखें की कक्ष का तापमान 34^0 / 35^0 फरेहनहाइट रहे।

इस वर्ष बिजली की सप्लाई काफी सही मात्रा मे हो रही है, अतः सही तापमान लाने में विशेष परेशानी नहीं होनी चाहिए।

आपके मशीनरी प्लाट में आमोनिया की कमी नहीं होनी चाहिए, यदि कम हो तो सही मात्रा में कर लें। यह समय बहुत ही सही देखभाल का है जरा सी भूल चूक से काफी नुकसान हो सकता है। CIPC के छिड़काव पर विशेष निगरानी होनी चाहिए, जरा सी असावधानी, काफी बड़ा नुकसान कर सकती है।

फैक्ट्री एक्ट के सम्बन्ध में :

ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष से सरकार ने फैक्ट्री एक्ट लाईसेन्स पाँच वर्ष में नवनीकरण के बदले में प्रति वर्ष नवनीकरण के नियमों को लागू कर दिया है। इस सम्बन्ध में हमने एक पत्र माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा हे जिसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे है।

418 / सीं.एस.ए.27 / 34 / 2018 दिनाक 25.4.2018

माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य,
कैबिनेट मंत्री,
श्रम एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश
लखनऊ

माननीय मंत्री जी,

विषय : शीतगृहों पर Factory Act Licence के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

आपके संज्ञान में लाना है कि वर्ष 2018 से फैक्ट्री एक्ट के लाईसेन्स नवीनीकरण 5 वर्ष की जगह अब एक वर्ष बाद ही कराने के आदेश शीतगृहों को आने शुरू हो गए है।

विभाग से पूछने पर पता लगा की यह आदेश इस लिए दिए गए है कि शीतगृहों को Hazardous श्रेणी में रखा गया है। अतः इनके लाईसेन्स का नवीनीकरण प्रतिवर्ष होना जरूरी माना गया हैं।

प्रदेश में उद्योगों की प्रगति के लिए, आपसे अनुरोध है की इस लाल फीता शाही से जितनी मुक्ति दिलाई जा सके दिलाइए। प्रतिवर्ष लाईसेन्स नवीनीकरण से कोई फायदा ना होकर उद्योग को अधिक कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी। इस समय भी शीतगृहस्वामी कोल्ड स्टोरेज लाईसेन्स, →

अग्निशमन अन्नापप्ति पत्र, प्रदूषण अन्नापप्ति पत्र, भवन अन्नापप्ति पत्र, आदि प्राप्त करते करते ही परेशान है, साथ में मण्डी लाइसेन्स, फैक्ट्री एक्ट लाइसेन्स, सेटी लाईसेन्स आदि प्राप्त करते करते सारा समय बीत रहा है।

आपसे पुनः अनुरोध है कि शीतगृहों को फैक्ट्री लाइसेन्स से कम से कम दस साल के लिए, किसी भी प्रकार नवनीकरण से मुक्ति दिलाने का कष्ट करे। यह प्रदेश और उद्योग दोनों के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

सधन्यवाद,

कृते **कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश**

(महेन्द्र स्वरूप)

अध्यक्ष

शीतगृहो में बिजली की बचत कैसे की जाए के सम्बन्ध में सेमिनार :

दिनांक 21 अप्रैल, 2018 होटल क्लार्क अवध लखनऊ में एसोसिएशन द्वारा बिजली बचाने पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस Industrial Energy Efficiency Division, TERI (The Energy & Resources Institute), Darbari Seth Block, Habitat Place, Lodhi Road, New Delhi 110003, INDIA का आमन्त्रित किया गया, उन्होने काफी विस्तार से शीतगृहों में खर्च होने वाली बिजली को कैसे बचाया जाये पर प्रकाश डाला। इस मीटिंग के चर्चा के मुख्य बिन्दु इस प्रकार थे :–

1. **Condenser कन्डेसर में बिजली की बचत** : शीतगृहो को अधिकांशता atmospheric condenser लगे होते है। इन condenser के पाइप पर थोड़े समय में ही काई व पपड़ी जम जाती है उससे मशीनरी का प्रेशर बढ़ जाता है और बिजली ज्यादा खर्च होने लगती है। इससे बचने के लिए उन्होंने Forced Air Condenser का सूक्षाव दिया। इसमें अमोनिया भी कम खर्च होगी और Delivery Pressure भी कम हो जायेगा। condenser की सफाई का संकट भी नहीं रहेगा। लेकिन इसमें RO water का प्रयोग ही सम्भव है।
2. **Compressor कम्प्रेसर मे बिजली की बचत :** बढ़िया standard company का compressor ही लगाने का सूझाव दिया गया और इन पर कम बिजली वाली मोटरों को लगाने का सुझाव था जिस में नई तरह की T3 Series की मोटरे आने लगी है जो कम बिजली खाती हैं।

→

3. **<u>Insulation इन्सुलेशन</u>** : खराब Insulation में बहुत अधिक नुकसान पहुँच रहा है। कमरे की छत वा दक्षिण/पश्चिम की दीवार पर सही Insulation का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके नापने के विशेष यंत्र आते है, जिससे पता लग जाता है कि Insulation कहाँ पर कमजोर है।

4. केवल LED Light का प्रयोग करे। CFL आदि तरह की लाइट फौरन ही हटा देना उचित होगा।

5. अब कम watt के पंखे आ रहे है जो गर्म नही होते और जलते नहीं। यह पंखे 75 watt के बदले 25 watt तक बिजली पर चलते है।

इस प्रकार यह मीटिंग बहुत ही लाभदायक रही और पता लगा कि हम लोग कितनी अधिक बिजली व्यर्थ कर रहे है। इसे बचाया जा सकता है।

इस मीटिंग के दो दृश्य यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

आगरा में होने वाली कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश व फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया की मीटिंग के सम्बन्ध में :–

जैसा कि आपको विदित होगा की 25–26–27 जुलाई, 2018 को आगरा मे इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। यह मीटिंग 25.7.2018 की शाम 4 बजे को आरम्भ होगी वा 27.7.2018 को सांय 5 बजे समाप्त होगी। ठहरने की व्यवस्था होटल Hotel Courtyard by Marriott, Fatehbad Road, Taj Nagari, Phase II, Agra-282001 Uttar Pradesh में की गई है।

होटल में ठहरने का खर्च निम्न प्रकार होगा।

1. रजिस्ट्रेशन चार्ज – 600/– रूपए प्रति व्यक्ति रजिस्ट्रेशन चार्ज देय होगा। चाहे चह होटल में ठहरे या नही।
2. प्रति व्यक्ति ठहरने का व्यवस्था 1700 रूपए प्रति रात्रि हेगा जिस के एक कमरे में दो व्यक्तियो के ठहरने की व्यवस्था होगी। इसी प्रकार दो रात्रि ठहरने पर 3400 रूपए प्रति व्यक्ति देय होगा। यदि एक ही व्यक्ति एक कमरे मे ठहरने की मॉग की गई तो 3200 रूपए प्रति व्यक्ति चार्ज होगा।

यदि एक ही कमरे मे तीन व्यक्ति रूकना चाहेगे तो प्रति व्यक्ति 1600 रूपए प्रति रात्रि लगेगा।

आप अपनी बुकिंग Agra Cold Storage Owners Association के Account में रूपए जमा करा सकते है और इसकी सूचना श्री रिशी सिंह फोन नम्बर 9358204012 को भेज दें जिसमें यह सूचना भेजना आवश्यक है।

1. ठहरने वाले व्यक्ति का नाम
2. जिस रात्रि के लिए कमरा चाहिए
3. अपने पहुँचने का समय व तिथि
4. Agra Cold Storage Owners Association का

   Account Number : 88153070000981

   Bank Name : SYNDICATE BANK,

   Bank Address : KAMLA NAGAR, AGRA

   IFSC CODE : SYNB0008815

→

CII Cold Chain Awards 2018 के सम्बन्ध मे:–

II is happy to invite your Organisation which is engaged in Cold Chain development and associated activities to participate in 3rd CII National Cold Chain Awards, 2018.

With the aim of raising awareness levels; promoting best practices & recognising role models, Confederation of Indian industry (CII) is launching the 3rd CII Cold Chain Awards, 2018 supported by National Centre for Cold Chain Development (NCCD). The proposed assessment criteria for different categories (Best Practices in Cold Storage, Packhouse, Innovation in Cold Chain Technology or Business Model, Best practices in Refer Transport, Best Integrated Supply Chain Solution and Ripening Chamber) involving different stakeholders of cold chain sector is based on national & international standards and have been customised keeping the size, structure & maturity levels in mind. The proposed process involves an assessment by harnessing the expertise of technical professionals & setting examples of best in class.

The intention of introducing these awards is to encourage stakeholders & create awareness about the critical parameters that significantly influence the efficiency of a cold chain. The award and recognition would enable innovation, integration & investments in the food supply chain.

Detailed brochure and Letter of Intent is attached for your Reference.

We do hope that your own establishments as well as those of your stakeholders would participate in this Award program to leverage its manifold benefits.

Please fill in the 'Letter of Intent' attached (one for each Applicant Unit) and send it with the Application fees, latest by 31st May 2018.

Letter of Intent

CII COLD CHAIN AWARDS : Year 2018

1. Name of Applicant Organisation : .....
2. Name of the Highest Ranking Official of the Organisation : .....

   Designation : ..... Email : .....

   Mobile : ..... Telephone ..... Fax : .....
3. Name and Address of Applicant Unit : .....

   .....

   ..... Pin Code: .....

→

4. Applicant Unit is in operation for : [___] Less than 3 years 3 years or more [___]

5. Name of the Contact Person in Applicant Unit : .....

   Designation : ..... Email : .....

   Mobile : ..... Telephone ..... Fax : .....

   Contact Address (If different from above).....

   .....

   ..... Pin Code: .....

6. Product handled and Services Offered by the Applicant Unit : .....

   .....

   .....

7. Annual Sales turnover of the Organisation for the previous year (INR) : .....

8. Annual Sales turnover of the Applicant unit for the previous year (INR) : .....

9. Are you a member of CII :

   Yes [___] No [___]

10. Which category does the Applicant unit want to apply for?

    Best Practices in Cold Storage [___] Innovation in Cold Chain Technology or Business Model [___]

    Best practices in Refer Transport [___] Packhouse [___] Best Integrated Supply Chain Solution [___]

    Ripening Chamber [___]

11. Payment details:

Segment No	**Applicant Unit's Annual Sales Turnover (previous year) (INR)**	**Application Fee *(INR)**	**Site Visit Fees **(INR)**
Segment 1	25Lac- 50Lac	5,000 + 18% GST	On Actual
(Small)	Above 50Lac- 1 Cr	10,000 + 18% GST	On Actual
	Above 1Cr - 5 Cr	20,000 + 18% GST	On Actual
	Above 5Cr - 10 Cr	30,000 + 18% GST	On Actual

Segment 2	Above 10Cr - 30 Cr	40,000 + 18% GST	On Actual
(Medium)	Above 30Cr - 60 Cr	55,000 + 18% GST	On Actual
	Above 60Cr - 100 Cr	75,000 + 18% GST	On Actual
Segment 3	Above 100Cr - 200 Cr	90,000 + 18% GST	On Actual
(Large)	Above 200Cr - 300 Cr	1,10,000 + 18% GST	On Actual
	Above 300 Cr	1,25,000 + 18% GST	On Actual

Please find enclosed Cheque / Demand Draft No …….....……. for Rs. …….....…….. Drawn in favour of "Confederation of Indian Industry" payable at New Delhi as Application Fee (non-refundable).

I agree, on behalf of my organization, to abide by the rules of the 3rd CII Cold Chain Award competition and accept that the decision of CII is final. I confirm that my organization is eligible to take a part in this competition and that all information in this application and accompanying application documents are correct. I accept the timetable, the non-disclosure and confidentiality clause and fees and cost structure.

Company Seal Signature of the Highest Ranking Official of the Applicant Unit

Date

Address for correspondence :

Ms Pragya Nehru
Deputy Director - Food Processing & Cold Chain
CII-Food and Agriculture Centre of Excellence (FACE)
3rd Floor, IGSSS, 28, Institutional Area,
Lodi Road, New Delhi
Ph.: 011-45772049
Email: Pragya.nehru@cii.in

नए उद्योगों जो 2004 के बाद लगे थे 7.5% Excise Duty छूट के सम्बन्ध में :—

यह समाचार हमे श्री विनय वार्ष्णेय, बदायूँ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने भेजा है।

उद्योगों की बिजली हुई सस्ती

छूट का फायदा लेने के लिए सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा के यहां करना होगा क्लेम

[illegible] • [illegible]

प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी उद्योगों की बिजली सस्ती कर दी है। साढ़े सात फीसद विद्युत कर को माफ कर दिया है। 21 जनवरी को 2010 को पूर्व सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को री-नोटिफाइड करते हुए सरकार ने दस वर्ष तक के लिए विद्युत कर माफ कर दिया है। 2010 के बाद अभी तक जिन उद्योगों ने बिल के साथ विद्युत कर जमा किया है उन्हें अब तक लिया गया कर रिफंड किया जाएगा। रिफंड वापस लेने के लिए उद्यमियों को सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा के यहां छूट के लिए क्लेम करना होगा। जो भी क्लेम नहीं करेगा उसे छूट का फायदा नहीं मिलेगा।

सरकार ने विद्युत सुरक्षा निदेशालय को नोडल एजेंसी नामित कर दिया है। 2004 में औद्योगिक एवं सेवा निवेश नीति सरकार द्वारा बनाई गई थी। लेकिन सरकारी सुस्ती के चलते छह साल बाद 21 जनवरी 2010 को उद्योगों को विद्युत कर में छूट देने के लिए अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद प्रदेश के टैक्सटाइल्स उद्योग को छूट की बात सामने आई, लेकिन औपचारिक और अस्पष्ट नियमों के चलते छूट का फायदा उद्यमियों को नहीं मिल सका। छूट को लेकर हमेशा बिजली विभाग और टैक्सटाइल्स उद्योग में बहस चलती रही। 2017 में योगी सरकार ने इस अधिसूचना का संज्ञान लिया और नियमों को क्लियर कर उद्योगों को विद्युत कर में छूट देने का निर्णय लिया। पांच फरवरी 2018 को अधिसूचना री-नोटिफाइड कर 2004 के बाद स्थापित उद्योगों को 21 जनवरी 2010 से दस वर्ष के लिए कर से राहत देने का स्पष्ट आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार प्रदेश में जो भी उद्योग लगाए जा रहे हैं उन्हें दस वर्ष के लिए कर में राहत दी जा रही है। इससे प्रदेश के लाखों उद्योगों को कर से राहत मिलने की उम्मीद जग रही है। जो उद्योग 2010 में स्थापित हैं उन्हें 2020 तक और जो उद्योग 2018 में स्थापित है उन्हें 2028 तक विद्युत कर से राहत मिलेगी। जिन्होंने 2010 के बाद अभी तक विद्युत कर जमा कर दिया है उन्हें कर की राशि वापस की जाएगी।

10 वर्ष के लिए टैक्स में नए उद्योगों को दी जा रही है राहत

7.5 फीसद की गई है सरकार की तरफ से टैक्स में छूट

05 फरवरी 2018 को अधिसूचना को किया गया है री-नोटिफाइड

डीआइसी और बिजली विभाग के बीच निपट जाता था मामला

उद्यमी को बिजली में छूट देने के लिए अभी तक जिला उद्योग केंद्र और बिजली विभाग के बीच मामला झूलता था। लेकिन अब विद्युत कर में राहत पाने के लिए उद्यमी को सरकार द्वारा बनाई गई नोडल एजेंसी विद्युत सुरक्षा निदेशालय से क्लेम फार्म नि:शुल्क लेकर सर्टिफिकेट पास क्लेम कर सकते हैं। क्लेम न करने पर विद्युत कर में छूट का लाभ उद्यमी को नहीं मिल सकेगा।

गाजियाबाद में करीब एक हजार औद्योगिक इकाइयां

गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़ में 2004 के बाद करीब एक हजार औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। इनमें से कुछ बंद हो गई हैं। गाजियाबाद में करीब तीन सौ, हापुड़ में करीब 100 और नोएडा में करीब पांच सौ औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं। गाजियाबाद में हर महीने करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये का राजस्व बिल के रूप में बिजली विभाग को मिलता है।

इनके समक्ष प्रस्तुत करें दावे का प्रमाण पत्र

सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा के समक्ष दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हापुड़, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के उद्यमी सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा गाजियाबाद के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इच्छुक [illegible] नंबर 6390004126 पर फोन कर संपर्क कर सकते हैं।

क्लेम के लिए यह लगाने होंगे प्रमाण पत्र

[illegible] प्रमाण पत्र जो कि जिला उद्योग केंद्र या उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से प्राप्त किया गया हो, 21 जनवरी 2010 अब तक निर्गत प्रारूप में बिजली बिल की प्रमाणित कापी, अधिशासी अभियंता से विद्युत कर के खाते में जमा कुल धनराशि का सत्यापन किया गया विवरण, अधिशासी अभियंता से औद्योगिक इकाई के विद्युतीय अधिष्ठापन को ऊर्जीकृत किए जाने की तिथि का प्रमाण पत्र, विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी विद्युतीय अधिष्ठापनों में स्थापित एनओसी प्रमाण पत्र।

“2004 के बाद स्थापित उद्योगों को 2010 से विद्युत कर में छूट देने का आदेश आया है। कर में छूट लेने के लिए सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा के यहां क्लेम का आवेदन कर सकते हैं। दस वर्ष के लिए कर में छूट दी जा रही है।

-[illegible] चौधरी, मुख्य अभियंता विद्युत वितरण निगम

सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए विद्युत कर में छूट दे रही है। छूट का लाभ लेने के लिए उद्यमी किसी भी कार्य दिवस पर क्लेम का फार्म नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। छूट मिल रही है या नहीं मिल रही दोनों ही दशा में क्लेम करना अनिवार्य है। दस वर्ष के लिए छूट दी जा रही है।

-केके शुक्ल, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, गाजियाबाद

यह स्वागत योग्य कदम है। काफी दिनों से सुन रहा था कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार विद्युत कर में छूट देने जा रही है लेकिन अभी तक छूट का लाभ न मिल रहा है। ऐसा यदि सरकार ने कर दिया है तो उद्यमियों को बहुत बड़ी राहत होगी।

आलोक [illegible], [illegible] टेक्सटाइल एसोसिएशन गाजियाबाद”

अग्निशमन के सम्बन्ध में :–

इस सम्बन्ध में हमने उद्योग बन्धु में अपना केस रखा है और उद्योग बन्धु से अग्निशमन विभाग को एक पत्र भिजवाया है कि वह अपने विचार इस मे दे जिससे की शीतगृहों के लिए अग्निशमन नियम बनाए जा सके। उद्योग द्वारा भेजे गए पत्र की छायाप्रति यहाँ प्रस्तुत कर रहे है।

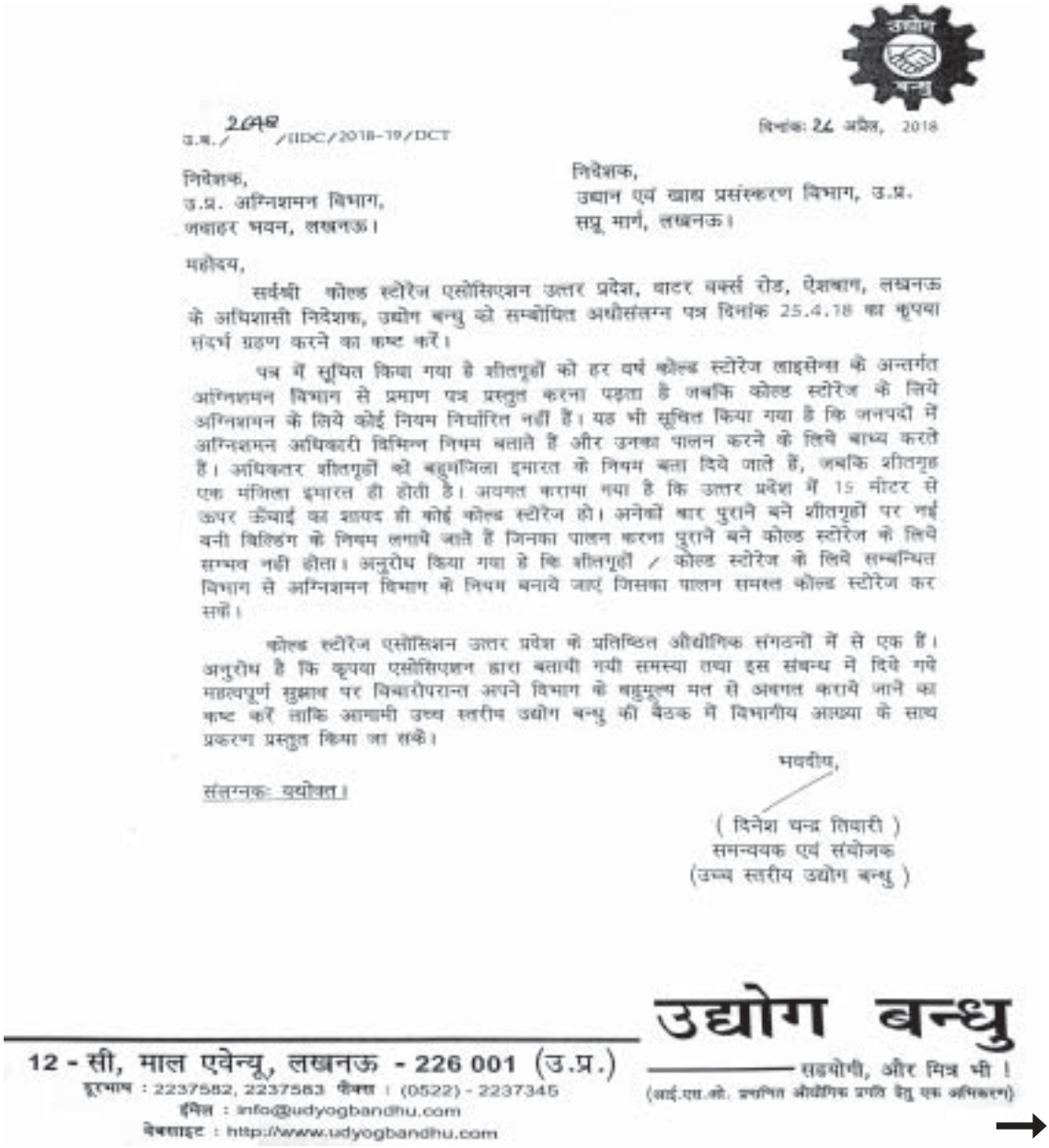

उ.ब./2048/IIDC/2018-19/DCT

दिनांक: 26 अप्रैल, 2018

निदेशक,
उ.प्र. अग्निशमन विभाग,
जवाहर भवन, लखनऊ।

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र.
सप्रू मार्ग, लखनऊ।

महोदय,

सर्वश्री कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ के अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को सम्बोधित अधोसंलग्न पत्र दिनांक 25.4.18 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

पत्र में सूचित किया गया है शीतगृहों को हर वर्ष कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स के अन्तर्गत अग्निशमन विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है जबकि कोल्ड स्टोरेज के लिये अग्निशमन के लिये कोई नियम निर्धारित नहीं हैं। यह भी सूचित किया गया है कि जनपदों में अग्निशमन अधिकारी विभिन्न नियम बताते हैं और उनका पालन करने के लिये बाध्य करते हैं। अधिकतर शीतगृहों को बहुमंजिला इमारत के नियम बता दिये जाते हैं, जबकि शीतगृह एक मंजिला इमारत ही होती है। अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश में 15 मीटर से ऊपर ऊँचाई का शायद ही कोई कोल्ड स्टोरेज हो। अनेकों बार पुराने बने शीतगृहों पर नई बनी बिल्डिंग के नियम लगाये जाते हैं जिनका पालन करना पुराने बने कोल्ड स्टोरेज के लिये सम्भव नहीं होता। अनुरोध किया गया है कि शीतगृहों / कोल्ड स्टोरेज के लिये सम्बन्धित विभाग से अग्निशमन विभाग के नियम बनाये जाएं जिसका पालन समस्त कोल्ड स्टोरेज कर सकें।

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित औद्योगिक संगठनों में से एक हैं। अनुरोध है कि कृपया एसोसिएशन द्वारा बतायी गयी समस्या तथा इस संबन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण सुझाव पर विचारोपरान्त अपने विभाग के बहुमूल्य मत से अवगत कराये जाने का कष्ट करें ताकि आगामी उच्च स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक में विभागीय आख्या के साथ प्रकरण प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त।

(दिनेश चन्द्र तिवारी)
समन्वयक एवं संयोजक
(उच्च स्तरीय उद्योग बन्धु)

उद्योग बन्धु
सहयोगी, और मित्र भी !
(आई.एस.ओ. प्रमाणित औद्योगिक प्रगति हेतु एक अभिकरण)

12 - सी, माल एवेन्यू, लखनऊ - 226 001 (उ.प्र.)
दूरभाष : 2237582, 2237583 फैक्स : (0522) - 2237345
ईमेल : info@udyogbandhu.com
वेबसाइट : http://www.udyogbandhu.com

(10) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, अप्रैल, 2018

प्रतिलिपिः-

1.निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन को आई.आई.डी. सी. महोदय जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ.प्र. शासन को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. निजी सचिव, सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन को सचिव महोदय के सूचनार्थ।

4. निजी सचिव, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन को सचिव महोदय के सूचनार्थ।

5. श्री महेन्द्र स्वरूप, अध्यक्ष, सर्वश्री कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ को आवश्यक अनुश्रवण हेतु प्रेषित।

26.6.18

(दिनेश चन्द्र तिवारी)
समन्वयक एवं संयोजक
(उच्च स्तरीय उद्योग बन्धु)

न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में :

हमें सरकार से न्यूनतम मजदूरी के बारे में एक निर्देश मिला है जिसे हम यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। इस सरकारी आदेश में बढ़ा हुआ महँगाई भत्ता बताया गया है। इस तरह के सरकारी आदेश हम पहले भी प्रकाशित कर चुके हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत राजाज्ञा स0 194/36–3–2014–07 (न्यू0व0)/04, दिनाक 28.01.2014 द्वारा अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवम् देय परिवर्तनीय महँगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महँगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दैनिक दर 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जुलाई, 2017 से दिसम्बर, 2017 के औसत अंक 286 (दो सौ छियासी) पर दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक परिवर्तनीय महँगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा :–

दृष्टांत : रूपये 5750 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को उपभोक्ता →

मूल्य सूचकांक 286 पर दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक देय परिवर्तनीय महँगाई भत्ता निम्न प्रकार देय होगा :–

$$\frac{(286-216)}{216} \times 5750 = 1863.42 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियो को देय प्रति माह मूल मजदूरी परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरे निम्नवत् हैः–

क्रम	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रु. में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रु. में)		दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक	
			दिनांक 01.10.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक	दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक	कुल मजदूरी (रु. में)	दैनिक मजदूरी (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750.00	1650.46	1863.42	7613.42	292.82
2	अर्द्ध कुशल	6325.00	1815.51	2049.77	8374.77	322.11
3	कुशल	7085.00	2033.66	2296.06	9381.06	360.81

नियोजनों के नाम :–

8. डेरी और मिल्क डेरी
37. आइसकैण्डी/आइस्क्रीम विनिर्माणशाला
39. बर्फ विनिर्माणशाला
43. कोल्ड स्टोरेज।

(आर.पी. गुप्ता)
उप श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश
कृते श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश जी.टी. रोड, कानपुर

पत्र सं. : 186–215/प्रवर्तन0–(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 28–3–2018

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
2. अनुसचित उ.प्र. शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ।

→

3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई–मेल : wagecell@nic.in के माध्यम से।
4. प्रशासनिक अधिकारी, संख्या प्रभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता आदेश पूर्व में संख्या प्रभाग से जारी होता रहा है, अतएव पूर्व की भाँति अग्रेतर प्रत्येक छमाही में जारी होने वाले परिवर्तनीय मँहगाई भत्ता आदेश नियमानुसार समय से जारी कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
6. अपर श्रमायुक्त, (आई.आर.), मुख्यालय।

(आर.पी. गुप्ता)
उप श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश
कृते श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के सिगंल विण्डो पोर्टल लागू होने के सम्बन्ध में :

सरकार द्वारा निम्न पत्र जारी किया गया है जो सिगंल विण्डो पोर्टल के सम्बन्ध मे है। इस पोर्टल को कैसे अप्लाई किया जाए? विभागों की क्या और किस तरह से क्या क्या जिम्मेदारी होगी? के बारे मे इसी पत्र मे और आगे दिया हुआ है लेकिन स्थान भाव के कारण हमे उसे यहॉ नही दे पा रहे है। यदि आपको और अधिक जानकारी चाहि तो हमे लिख भेजिए, हम पूरे पत्र को आपको ई मेल कर देगे।

पत्र संख्या–1488/77–6–18–08(एम)/2012टी.सी.8 (कैबिनेट)

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र.।

→

औद्योगिक विकास अनुभाग–6 दिनांक 09 अप्रैल, 2018

विषय : सिंगल विण्डो पोर्टल को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धांत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से शासन द्वारा निर्गत 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सर्वोत्तम समयबद्ध मानदण्डों के अनुरूप स्वीकृति/सुविधा सेवाएँ ससमय सुनिश्चित करने एवं निवेशपरक वातावरण बनाये जाने पर विशेष बल दिया गया है। इस हेतु मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप सभी औद्योगिक सेवाओं/स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुमतियों/लाइसेंस को ऑनलाइन तथा एक स्रोत से प्रदान करने के आशय से प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बन्धु में एक सशक्त ऑनलाइन सिंगल विण्डो पोर्टल–निवेश मित्र विकसित किया गया है।

2. इस नवनिर्मित वेब पोर्टल के अन्तर्गत सर्वनिष्ठ आवेदन प्रारूप के माध्यम से विभागीय अनुमतियों, अनापत्तियों, पंजीयन, लाइसेन्स आदि प्राप्त करने हेतु ऑन लाइन आवेदन करने तथा सम्बन्धित विभागों से समन्वय का कार्य संपादित करने एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु उद्योग बन्धु को प्राधिकृत संस्था नामित किया जाता है।

3. यह वेब पोर्टल तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

सेवा में,

Postal Registration No. : SSP/LW/NP-65/2017-2019

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित